

राजस्थान सरकार
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

क्रमांक: राम/भू.अ./एलआरसी/प- / 6686-69

दिनांक 22-7-02

जिला कलेक्टर,

समस्त राजस्थान

विषय: - दिनांक 12-6-02 को एलआरसी की बैठक में लिये गये निर्णय बाबत ।

.....

महोदय,

दिनांक 12-6-02 को राजस्व सचिव महोदय की अध्यक्षता में हुई एलआरसी की बैठक में लिये गये निर्णयानुसार जिला स्तर पर कृपया निम्नानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावे :-

- 1- ऐसे रिपोर्ट परतन पटवारी जो कम्प्यूटर कार्य हेतु प्रशिक्षित हो तथा जिला/तहसील के कम्प्यूटर केन्द्र में पदस्थापित किये हुए हो का स्थानांतरण दो वर्ष पूर्व नहीं किया जावे ।
- 2- जिन तहसीलों में कम्प्यूटर स्थापित किये जा चुके हैं व किन्ही कारणों से अब तर्क क्रियाशील नहीं की जा सकी है उन्हें प्राथमिकता से इसी माह क्रियाशील कर दी जावे व कम्प्यूटरोइज्ड नक्षे जारी किया जाना सुनिश्चित किया जावे ।
- 3- कम्प्यूटराइजेशन आफ लैण्ड रेकार्ड योजना का लाभ आम जन को सुलभ हो सके इसलिए इसका प्रचार प्रसार किया जावे । जिला/उपखण्ड/तहसील स्तर पर आयोजित होने वाले अभियानों में इसकी विस्तृत चर्चा की जावे । ग्राम सभाओं में भी इसका व्यापक प्रचार किया जावे । आम जन को इसके लाभ से परिचय कराया जावे ताकि योजना का लाभ सभी को प्राप्त हो सके ।
- 4- नई जमाबंदियों को अब कम्प्यूटर के माध्यम से ही तैयार किया जाना है इस हेतु मण्डल के पत्र क्रमांक राम/भू.अ./एलआरसी/प-50/02/7261 -92 दिनांक 7-6-02 के द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये जा चुके हैं । नई जमाबंदिया कम्प्यूटर के माध्यम से ही बनेगी जो नई जमाबंदी बनेगी वह केवल ड्राफ्ट होगी । इसके सत्यापन के पश्चात ही इसे फाइनल माना जावेगा । अतः तदनुसार कार्यवाही की जावे । इस संबंध में तकनीकी समस्याओं का समाधान जिलास्तर पर डी.आई.ओ. द्वारा किया जावेगा । डी.आई.ओ., 810 एन.आई.सी., जयपुर से सम्पर्क करने भी तकनीकी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं ।
- 5- जिन तहसीलों में कम्प्यूटर स्थापित किये जा चुके हैं उनमें इसकी प्रोपर फंक्शनिंग की जावे । यथा समय जब जब तहसील का निरीक्षण उपखण्ड अधिकारी/जिला कलेक्टर द्वारा किया जावे एक चैक लिस्ट तैयार की जावे जिसमें सम्पूर्ण विवरण हो । इस चैक लिस्ट को उपखण्ड अधिकारी, जिला कलेक्टर को भरकर भेजेंगे व जिला कलेक्टर

राजस्व मण्डल को प्रेषित करेंगे। चैक लिस्ट का ~~कमरा नं.~~ प्रपत्र संलग्न है। कम्प्यूटराइजेशन आफ लैण्ड रेकार्ड योजना के कार्य के निरीक्षण हेतु भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय की टीम निरीक्षण हेतु जुलाई में आना संभावित है अतः क्रियाशील तहसीलों को सुचारु रूप से ओपरेशनलाइज्ड रखा जावे व निरीक्षण हेतु तत्पर रहें।

भवदीय

उप निबंधक भू. अ. १
राजस्व मण्डल राज., अजमेर

दिनांक 22-7-02

क्रमांक: सम/ 6666 - 69

प्रतिलिपि:-

- 1- संभागीय आयुक्त, समस्त।
- 2- उप शासन सचिव, राजस्व ग्रुप-2 विभाग, राज., जयपुर।
- 3- एस.आई.ओ., एन.आई.सी., कमरा नं. 318, शासन सचिवालय, उत्तर पश्चिमी खण्ड, जयपुर।
- 4- ए.सी.पी., राजस्व मण्डल राज., अजमेर।

उप निबंधक भू. अ. १
राजस्व मण्डल राज., अजमेर

नाम तहसील..... जिला

तहसील स्तर पर कम्प्यूटर कक्ष की चैक लिस्ट-

- 1- साइट तैयार है हाँ / नहीं
- 2- रिपोर्ट परसन प्रशिक्षित है हाँ / नहीं
- 3- क्या नियमित कम्प्यूटर नकले जारी की जा रही है- हाँ/नहीं
- 4- कम्प्यूटर मशीने ठीक से कार्य कर रही है हाँ / नहीं
- 5- यदि नहीं तो उसे ठीक कराने की व्यवस्था की गई है हाँ/नहीं
- 6- प्रिन्टर ठीक से कार्य कर रहा है हाँ / नहीं
- 7- यदि ठीक से कार्य नहीं कर रहा है तो उसे ठीक कराने की व्यवस्था की गई है अथवा नहीं हाँ/नहीं
- 8- क्या कम्प्यूटर स्टेशनरी पूरी उपलब्ध है हाँ/नहीं
- 9- विद्युत आपूर्ति पूरी है हाँ/नहीं
- 10- औसतन कम्प्यूटराइज्ड नकले आवेदको को कितने समय में उपलब्ध कराई जा रही है.....
- 11- कम्प्यूटर कक्ष में पाई गई अन्य कमियाँ जिसे सुधारा जा सके / अभियुक्त

12- निरीक्षणकर्ता की राय

निरीक्षण की तिथि

स्थान

हस्ताक्षर निरीक्षणकर्ता

मय पद नाम के